

न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री भागीरथ बिश्नाई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध :: 147/2018

आर.सी.एम.एस. :: 2018/00180

प्रार्थी :-

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार
(भूमिधारी) रानी

बनाम

अप्रार्थी:-

1. जेठाराम पुत्र देवा
2. नरिंगराम पुत्र जोराराम
3. शंकरलाल पुत्र जोराराम
4. सवाराम पुत्र जोराराम
5. दरिया देवी पुत्री जोराराम
6. सायरी पुत्री जोराराम
7. लहरी देवी पुत्री जोराराम
8. छोगाराम पुत्र देवा
9. भंवरलाल पुत्र देवा
10. कमलादेवी पत्नी हीराराम
11. अमृतलाल पुत्र हीराराम
12. गायत्री पुत्री हीराराम
13. कलाराम पुत्र खुमाराम
14. रगाराम पुत्र खुमाराम
15. रूपाराम पुत्र खुमाराम
16. लक्ष्मीदेवी पत्नी खुमाराम, जातिगण
मेणा, निवासी सिवास, तहसील रानी
जिला पाली

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :-

1. श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार

--: आदेश :-

दिनांक : 6/8/2018



प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) रानी द्वारा यह प्रार्थना पत्र याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना में विरुद्ध अप्रार्थीगण के पिता/दादा देवा के नाम अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत ग्राम सिवास, पटवार हल्का सिवास तहसील रानी के खसरा नम्बर 787 किस्म गै.मु. नाला रकबा 0.88 है. के नियम विरुद्ध किए गए आवंटन को निरस्त करने के लिए माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को रेफरन्स प्रेषित करने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 4 व 11 के अलावा शेष अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित। अप्रार्थी संख्या 4 व 11 की और से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह परमार ने

अति. जिला कलेक्टर, पाली

वकालत नामा पेश किया, जो वक्त बहस अनुपस्थित होने से प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया। सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम सिवास, पटवार हल्का सिवास तहसील रानी जिला पाली के ख.न. 787 रकबा 0.88 है. किस्म बा.दो. जो गैर मुमकिन नाला दर्ज थी। जिसका आवंटन अप्रार्थीगण के दादा/पिता देवा पुत्र नवला के पक्ष में एलोटमेन्ट आदेश दिनांक 29.07.1970 के द्वारा किस्म परिवर्तन गै.मु. नाला से बा.दो. कर किया गया है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से आवंटन नहीं किया जा सकता है। आवंटन कमेटी द्वारा किया गया उक्त आवंटन विधि विरुद्ध होने से एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालनार्थ माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रश्नगत आराजी की भूमि के आवंटन आदेश के साथ ही उससे संदर्भित नामान्तरकरण संख्या 133 दिनांक 26.07.1971 एवं इसके पश्चातवर्ती नामान्तरकरण को भी निरस्त करवाकर पुनः गैर मुमकिन नाला दर्ज कराने हेतु रेफरेन्स फरमाया जावें।

सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम सिवास, पटवार हल्का सिवास तहसील रानी के खसरा नम्बर 787 रकबा 0.88 हैक्टेयर किस्म बा.दो. जो गैर मुमकिन नाला दर्ज थी, जिसका आवंटन अप्रार्थीगण के पिता/दादा देवा पुत्र नवला को एलोटमेन्ट आदेश दिनांक 29.07.1970 के द्वारा किस्म परिवर्तन कर किया गया एवं उसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 133 दिनांक 26.07.1971 स्वीकृत किया गया जिसके द्वारा देवा पुत्र नवला को गैर खातेदार दर्ज किया गया था तथा कालान्तर में उसे खातेदार दर्ज किया गया। वक्त आवंटन/नियमन जैर प्रार्थना पत्र आराजी गैर मुमकिन नदी दर्ज थी जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से अप्रार्थीगण के हक में किया गया आवंटन विधि विरुद्ध होने से स्पष्टतया खारीज योग्य है। इसके साथ ही जैर प्रार्थना पत्र आराजी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1539/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 से भी पूर्णतः प्रभावित होने से आवंटन ओदश की पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 133 दिनांक 26.07.1971 एवं इसके पश्चातवर्ती नामान्तरकरण भी को कायम रखा जाना विधि सम्मत नहीं है।

परिणामस्वरूप तहसीलदार, रानी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण के पिता/दादा देवा पुत्र नवला मेणा निवास सिवास तहसील रानी जिला पाली (राज.) के पक्ष में किया गया एलोटमेन्ट आदेश दिनांक 29.07.1970 एवं उसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 133 दिनांक 26.07.1971 एवं इसके पश्चातवर्ती नामान्तरकरण को भी निरस्त फरमाया जावे।



(भागीरथ बिश्नाई)
अति.जिला कलेक्टर, पाली